न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती सपना कुमारी, R.A.S.

प्रकरण संख्या : 22 / 17

GCMS id : 2017 / 00061

फकरूद्दीन आत्मज हाजी जमालुद्दीन, जाति मुसलमान, निवासी कैथून, जिला कोटा

बनाम — (वादी)

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
2. नगर विकास न्यास, कोटा जरिये सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा

— (प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उपस्थिति : श्री रघुवीर सिंह राठौड, वादी अभिभाषक
श्री रामकल्याण शर्मा, अभिभाषक प्रतिवादी–2

निर्णय

दिनांक : 25.07.2024

1- वादी की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत विवादित आराजी पर खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया।

2- वादी की ओर से पेश वादपत्र में निवेदन किया गया कि –

~ ग्राम लाडपुरा कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की अन्य भूमि के साथ आराजी खसरा नम्बर 220 रकबा 1.21 हैक्टर भूमि खातेदार कन्हैयालाल पुत्र घांसी, कंवरलाल, बाबूलाल, पुष्पचन्द पुत्रान रामनारायण, कस्तूरी बाई, गंगा बाई पुत्रियॉ रामनारायण व रामनाथी बाई पत्नी रामनारायण के खाते दर्ज चली आ रही थी।

~ उपरोक्त खातेदारान ने उक्त आराजी जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.06.2005 एवं 06.06.2005, वादी को बेचान करके मौके पर वादी को कब्जा दे दिया था। तब से आराजी खसरा नम्बर 220 रकबा 1.21 हैक्टर पर वादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है।

~ उक्त दोनों विक्रय पत्र उप पंजीयक, कोटा के समक्ष पेश किये गये किन्तु विक्रय पत्रों के इम्पाउण्ड होने के कारण रकम जमा कराये जाने के बाद दिनांक 24.03.2008 को पंजीयन किया गया।

~ उक्त भूमि वर्ष 2005 में ही वादी को विक्रय कर दिये जाने के बाद उक्त विक्रय पत्र इम्पाउण्ड होने के कारण इंतकाल तस्दीक नहीं किया जा सका था और उक्त भूमि पूर्व खातेदारान के ही नाम दर्ज रही तथा इसी मध्य उपरोक्त भूमि को वर्ष 2006 में धारा 90–ए के तहत सिवायचक कर दी।

~ उपरोक्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि किसी अन्य प्रयोजनार्थ काम में नहीं आ रही है। इस कारण उक्त विक्रय पत्रों के आधार पर उक्त भूमि का नियमानुसार वादी के खाते दर्ज किया जाना आवश्यक है।

~ प्रतिवादीगण के कर्मचारी द्वारा दिनांक 13.02.2017 को यह कहते हुये कि भूमि प्रतिवादी–2 के नाम दर्ज हो चुकी है, वादी को उक्त भूमि से बेदखल करने की धमकी दी। इस पर वादी ने दिनांक 09.03.2017 को प्रतिवादीगण से विक्रय पत्रों के आधार पर वादी के खाते दर्ज करने हेतु कहा तो उन्होने इन्कार कर दिया।

~ वाद कारण उक्त खसरा नम्बर 220 रकबा 1.21 हैक्टर भूमि पर वर्ष 2005 से वादी का कब्जा होने के बावजूद भी उक्त भूमि को बिना वादी को सुनवाई का अवसर दिये सिवायचक दर्ज करने व उसके बाद प्रतिवादी क्रम–2 के खाते दर्ज करने पर व दिनांक 13.02.2017 को वादी को बेदखल करने की धमकी देने व दिनांक 09.03.2017 को वादी के खाते दर्ज करने से इन्कार करने पर पैदा हुआ।

~ अतः वाद पेश कर प्रार्थना है कि ग्राम लाडपुरा कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 220 रकबा 1.21 हैक्टर का, विक्रय पत्रों के आधार पर वादी

को खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त आराजी की इन्द्राज दुरूस्ती कर वादी के खाते दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे। प्रतिवादी के विरूद्ध एक स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादी को विवादित आराजी से बेदखल नहीं करें और न वादी के कब्जे काश्त में व्यवधान ही पैदा करें।

~ वादी की ओर से अपने कथन के समर्थन में ग्राम लाडपुरा कैथून की विवादित आराजी से सम्बन्धित निम्नांकित दस्तावेजात पेश किये गये –

प्रदर्श–1 नकल जमाबन्दी संवत 2060–2063
प्रदर्श–2 नकल जमाबन्दी संवत 2072–2075
प्रदर्श–3A विक्रय पत्र दिनांक 06.06.2005, पंजीयन दिनांक 24.03.2008
प्रदर्श–4A विक्रय पत्र दिनांक 01.06.2005, पंजीयन दिनांक 24.03.2008

3-A प्रतिवादी क्रम–1 सरकार जर्ये तहसीलदार की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया कि –

≈ जमाबन्दी संवत 2060–2063 के अनुसार ग्राम लाडपुरा कैथून के खसरा नम्बर 220 रकबा 1.21 हैक्टर भूमि कन्हैयालाल, कंवरलाल, बाबूलाल, पुष्पचन्द, कस्तूरी बाई, गंगाबाई, रामनाथी बाई, जाति लश्करी के खाते दर्ज थी जो वर्तमान में नगर विकास न्यास, कोटा के खाते दर्ज है।

≈ वादी द्वारा पूर्व खातेदारान से दिनांक 01.06.2005 एवं 06.06.2005 को विवादित आराजी का क्रय किया था। रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अभि.निरीक्षक वृत कैथून के अनुसार वर्तमान में मौके पर वादी का कब्जा काश्त है।

≈ आराजी के दोनों विक्रय पत्र इम्पाउण्ड में जाने के कारण पंजीयन दिनांक 24.03.2008 को किया गया, जिसके पंजीयन क्रमांक 2008001045 तथा 2008001046 है।

≈ चूंकि राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण की प्रक्रिया विक्रय पत्र के पंजीयन के बाद ही प्रारम्भ होती है। विक्रय पत्र पेश होने व इम्पाउण्ड होने के कारण 3 वर्ष पश्चात पंजीयन होने पर राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण दर्ज होना था किन्तु इससे पूर्व ही वर्ष 2006 में उक्त भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 90–ए के तहत सिवायचक घोषित की जा चुकी थी जिसका राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण संख्या 164 दिनांक 29.03.2006 दर्ज हो गया था।

≈ वर्तमान में मौके पर वादी कब्जा काश्त है तथा मौके पर किसी प्रकार का अकृषि कार्य नहीं हो रहा है। उक्त भूमि ग्राम लाडपुरा कैथून मुख्यालय कोटा से 21 किमी दूरी पर है।

≈ चूंकि वर्ष 2006 से पूर्व उक्त भूमि खसरा नम्बर 220 रकबा 1.21 हैक्टर खातेदारी में अंकित थी जिस पर बिना संपरिवर्तन कराये अकृषि प्रयोग किया गया जिसको सुनवाई कर सिवायचक घोषित कर दिया गया एवं भूमि सिवायचक होने से नगर विकास न्यास, कोटा के पैराफेरी क्षैत्र में आने पर भूमि को नगर विकास न्यास, कोटा को स्थानान्तरित कर दिये जाने से विक्रय पत्र का नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया जा सकता है।

3-B प्रतिवादी क्रम–2 नगर विकास न्यास जरिये सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया कि –

≈ सिवायचक भूमि पर वादी को किसी प्रकार से खातेदार घोषित करवाने का अधिकार नहीं है।

≈ प्रतिवादी क्रम–2 द्वारा दिनांक 13.02.2017 को वादी को विवादित भूमि से बेदखल करने की कोई धमकी नहीं दी गई। प्रतिवादी क्रम–2 विवादित भूम को वादी के खाते दर्ज करने की सक्षम ऑथोरिटी नहीं है।

≈ वादी द्वारा प्रस्तुत वाद, वाद कारण के अभाव में आर्डर 7 रूल 11 जाप्ता दीवानी के तहत निरस्त किये जाने योग्य है।

≈ विवादित भूमि वर्तमान में प्रतिवादी क्रम–2 न्यास के खाते दर्ज है जो लोक प्रयोजनार्थ धारा 92 एल.आर. एक्ट के तहत श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा दर्ज की गई है। उक्त आदेश को वादी द्वारा आज तक चेलेंज नहीं किया गया है जिसके अभाव में उक्त वाद मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

≈ घोषणा के दावे में राजस्थान सरकार व नगर विकास न्यास दोनो को ही पक्षकार बनाया गया है किन्तु न तो सरकार को दावा पेश करने के पूर्व दफा 80 सीपीसी का

नोटिस प्रेषित किया और ना ही प्रतिवादी संख्या 2 न्यास को धारा 98 न्यास अधिनियम का नोटिस दिया ही दिया गया है। ऐसी स्थिति में नोटिस के अभाव में दावा वादी मेन्टेनेबल नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

≈ वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध उक्त वाद प्रस्तुत करने का लोकस स्टेण्डाई नहीं है।

अतः निवेदन है कि वादी का वाद मय हर्जा खारिज फरमाया जावे।

4- दौराने वाद, प्रकरण में निम्नांकित तनकीयात कायम किये गये :–

(1) आया दिनांक 24.03.2008 को निरूपादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। – (वादी)

(2) आया वादग्रस्त आराजी को धारा 90–ए एल.आर. एक्ट के तहत विधि सम्मत रूप से नगर विकास न्यास के नाम दर्ज नहीं किया गया है। – (वादी)

(3) आया वादग्रस्त आराजी नगरीय परिधि में स्थित होने के कारण 90–ए एल.आर. एक्ट के तहत उचित रूप से नगर विकास न्यास के खाते दर्ज है। – (प्रतिवादी–2)

5- *प्रकरण पर उभयपक्ष वादी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस अन्तिम सुनी गई –*

- वादी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम लाडपुरा कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की अन्य भूमि के साथ आराजी खसरा नम्बर 220 रकबा 1.21 हैक्टर भूमि खातेदार कन्हैयालाल पुत्र घांसी, कंवरलाल, बाबूलाल, पुष्पचन्द पुत्रान रामनारायण, कस्तूरी बाई, गंगा बाई पुत्रियॉ रामनारायण व रामनाथी बाई पत्नी रामनारायण के खाते दर्ज चली आ रही थी। उपरोक्त खातेदारान ने उक्त आराजी जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.06.2005 एवं 06.06.2005, वादी को बेचान करके मौके पर वादी को कब्जा दे दिया था। तब से आराजी खसरा नम्बर 220 रकबा 1.21 हैक्टर पर वादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त दोनों विक्रय पत्र उप पंजीयक, कोटा के समक्ष पेश किये गये किन्तु विक्रय पत्रों में Stamp duty की कमी होने पर के इम्पाउण्ड कर दिये जाने से रकम जमा कराये जाने के बाद दिनांक 24.03.2008 को पंजीयन किया गया। उक्त भूमि वर्ष 2005 में ही वादी को विक्रय कर दिये जाने के बाद उक्त विक्रय पत्र इम्पाउण्ड होने के कारण इंतकाल तस्दीक नहीं किया जा सका था और उक्त भूमि पूर्व खातेदारान के ही नाम दर्ज रही। वादी को आराजी के आस पास की आराजी पर ईट भट्टो का कार्य किया जा रहा था तो उनके साथ ही वादी को सूचना दिये बिना उपरोक्त भूमि को वर्ष 2006 में धारा 90–ए के तहत सिवायचक कर दी। उपरोक्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि पर आज भी किसी प्रकार का अकृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इस कारण उक्त विक्रय पत्रों के आधार पर उक्त भूमि को नियमानुसार वादी के खाते दर्ज कराये जाने का अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादीगण से विक्रय पत्रों के आधार पर विवादित आराजी वादी के खाते दर्ज करने हेतु कहा तो उन्होने इन्कार कर दिया। अतः निवेदन है कि ग्राम लाडपुरा कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 220 रकबा 1.21 हैक्टर का, विक्रय पत्रों के आधार पर वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त आराजी की इन्द्राज दुरूस्ती कर वादी के खाते दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे। प्रतिवादी के विरूद्ध एक स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादी को विवादित आराजी से बेदखल नहीं करें और न वादी के कब्जे काश्त में व्यवधान ही पैदा करें।

- प्रतिवादी क्रम–1 की ओर से उनके द्वारा पेश किये गये जवाब दावे के कथनों को ही बहस के कथन मानते हुये प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

- प्रतिवादी क्रम–2 के अभिभाषक द्वारा जवाब दावा के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि सिवायचक भूमि पर वादी को किसी प्रकार से खातेदार घोषित करवाने का अधिकार नहीं है। प्रतिवादी क्रम–2 द्वारा दिनांक 13.02.2017 को वादी को विवादित भूमि से बेदखल करने की कोई धमकी नहीं दी गई। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद, वाद कारण के अभाव में आर्डर 7 रूल 11 जाप्ता दीवानी के तहत निरस्त किये जाने योग्य है। वादी द्वारा विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज किया जाने के आदेश को चुनौती नहीं दी गई है जबकि वादी को 90–ए की के विरूद्ध कार्यवाही करनी चाहिये थी। विवादित भूमि वर्तमान में प्रतिवादी क्रम–2 न्यास के खाते दर्ज है जो लोक प्रयोजनार्थ धारा 92 एल.आर. एक्ट के तहत श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा दर्ज की गई है। घोषणा के दावे में राजस्थान सरकार व नगर विकास न्यास दोनो को ही पक्षकार बनाया गया है किन्तु न तो सरकार को दावा पेश करने के पूर्व दफा 80 सीपीसी का नोटिस प्रेषित किया और ना ही प्रतिवादी संख्या 2 न्यास को धारा 98 न्यास अधिनियम

का नोटिस दिया ही दिया गया है। ऐसी स्थिति में नोटिस के अभाव में दावा वादी मेन्टेनेबल नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध उक्त वाद प्रस्तुत करने का लोकस स्टेण्डाई नहीं है। अतः निवेदन है कि वादी का वाद मय हर्जा खारिज फरमाया जावे।

6- प्रकरण पर सुनी गई बहस अन्तिम के कथनों पर मनन करने तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात के आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त प्रकरण में कायम की गई तनकीयात निम्नानुसार तय की जाती है –

(I) *आया दिनांक 24.03.2008 को निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।*

- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था।
- वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में विवादित आराजी क्रय किये जाने सम्बन्धी विक्रय पत्र दिनांक 01.06.2005 (प्रदर्श–4ए) एवं 06.06.2005 (प्रदर्श–3ए) की प्रति पेश की गई है। इन विक्रय पत्रों के माध्यम से वादी द्वारा पूर्व खातेदारान से विवादित आराजी क्रय की गई है।
- उपरोक्त विक्रय पत्रों के इम्पाउण्ड हो जाने के कारण सम्बन्धित उप पंजीयक कार्यालय द्वारा इन्हें दिनांक 24.03.2008 को पंजीकृत किया गया है।
- प्रतिवादी क्रम–1 की ओर से जवाब दावा में अवगत कराया गया है कि विवादित आराजी पर अकृषि कार्य होने के कारण 90–ए की कार्यवाही करते हुये विवादित आराजी को नामान्तरकरण संख्या 164 दिनांक 29.03.2006 से सिवायचक दर्ज कर दिया गया था तथा सिवायचक दर्ज किये जाने के वाद उक्त आराजी को ग्राम लाडपुरा कैथून के पैराफेरी क्षैत्र में आ जाने के कारण जिला कलक्टर, कोटा के आदेशानुसार नगर विकास न्यास, कोटा के खाते दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान कर दिये गये है।
- स्पष्ट है कि विवादित आराजी को नामान्तरकरण संख्या 164 दिनांक 29.03.2006 से सिवायचक दर्ज किये जाने के वाद वादी द्वारा विक्रय पत्रों को दिनांक 24.03.2008 को पंजीकृत करवाया गया है।
- वादी की ओर से प्रस्तुत यह वाद दिनांक 16.03.2017 से दर्ज होकर विचाराधीन है। वाद पेश करने की दिनांक को वादी को यह भलीभांति जानकारी थी कि विवादित आराजी नगर विकास न्यास, कोटा के खाते दर्ज है।
- ऐसी स्थिति में वादी को इस न्यायालय में वाद पेश करने के पूर्व नामान्तरकरण संख्या 164 दिनांक 29.03.2006 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय को अपील पेश करनी चाहिये थी, जो कि उनके द्वारा नहीं की गई।
- नामान्तरकरण संख्या 164 दिनांक 24.03.2006 के अस्तित्व में रहने तथा विवादित आराजी वर्तमान में नगर विकास न्यास के खाते दर्ज होने के कारण वादी दिनांक 24.03.2008 को निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करवाने का अधिकारी नहीं हो सकता है।
- अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

आया वादग्रस्त आराजी को धारा 90–ए एल.आर. एक्ट के तहत विधि सम्मत रूप से नगर विकास न्यास के नाम दर्ज नहीं किया गया है।

- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था।
- वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में विवादित आराजी की नकल जमाबन्दी संवत 2060–2063 (प्रदर्श–1) पेश की गई है जिसके अनुसार ग्राम लाडपुरा कैथून की विवादित आराजी खसरा नम्बर 220 रकबा 1.21 हैक्टर कन्हैयालाल पुत्र घांसी, कंवरलाल, बाबूलाल, पुष्पचन्द पुत्रान रामनारायण, करतूरी बाई, गंगा बाई पुत्रियॉ रामनारायण व रामनाथी बाई पत्नी रामनारायण के खाते दर्ज थी।
- वादी द्वारा पेश किये गये विक्रय पत्र दिनांक 01.06.2005 (प्रदर्श–4ए) एवं 06.06.2005 (प्रदर्श–3ए) से विवादित आराजी, वादी द्वारा क्रय किये जाने तथा दिनांक 24.03.2008 को उक्त विक्रय पत्रों के पंजीकृत होने के कथन की पुष्टि हो रही है।
- वादी ने अपनी बहस में कथन किया है कि विवादित आराजी पर 90–ए की कार्यवाही करने के पूर्व वादी को कोई सूचना नहीं दी गई। वास्तविकता में ऐसा

नहीं हुआ होगा क्योंकि विवादित आराजी के पूर्व खातेदारान द्वारा वर्ष 2005 में ही आराजी का विक्रय किया जा चुका था तथा इम्पाउण्ड हो जाने के कारण उक्त विक्रय पत्रों को वर्ष 2008 में पंजीकृत किया गया जबकि विवादित आराजी पर अकृषि कार्य होने पर नामान्तरकरण संख्या 164 दिनांक 29.03.2006 से सिवायचक घोषित दर्ज किया जा चुका था।

- इस प्रकार पूर्व खातेदारान द्वारा वर्ष 2005 में बेचान कर दिये जाने तथा वर्ष 2008 में वादी द्वारा पंजीकृत कराये जाने के दौरान वर्ष 2006 में 90–ए की कार्यवाही की गई है जिस पर ना तो पूर्व खातेदान ने और ना ही वादी ने कोई ध्यान दिया।
- तदुपरान्त ही वर्ष 2016 में विवादित आराजी के ग्राम लाडपुरा कैथून के पेराफेरी क्षेत्र में आ जाने के कारण वादग्रस्त आराजी को धारा 90–ए एल.आर. एक्ट के तहत विधि सम्मत रूप से नगर विकास न्यास के नाम दर्ज किया गया है।
- यह तनकी वादी के विरूद्ध में तय की जाती है।

(3) *आया वादग्रस्त आराजी नगरीय परिधि में स्थित होने के कारण 90–ए एल.आर. एक्ट के तहत उचित रूप से नगर विकास न्यास के खाते दर्ज है।*

- इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी क्रम–2 पर था।
- प्रतिवादी क्रम–2 की ओर से पेश जवाब दावा की विशेष आपत्तियों की मद संख्या–1 में उल्लेखित है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 220 रकबा 1.21 हैक्टर वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 2 न्यास के खाते दर्ज है जो लोक प्रयोजनार्थ धारा 92 आर.एल.आर. एक्ट के तहत श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा दर्ज की गई है। उक्त आदेश को वादीगण द्वारा आज तक चेलेंज नहीं किया गया है।
- पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर अकृषि कार्य होने के फलस्वरूप 90–ए की कार्यवाही की जाकर जर्ये नामान्तरकरण संख्या 164 दिनांक 29.03.2006 से विवादित आराजी को सिवायचक घोषित किया गया तथा सिवायचक दर्ज होने के उपरान्त ग्राम लाडपुरा कैथून की विवादित आराजी के पैराफेरी में आ जाने के कारण श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के आदेशानुसार लोक प्रयोजनार्थ वर्ष 2016 में नगर विकास न्यास, कोटा के खाते दर्ज किया गया है।
- स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी नगरीय परिधि में स्थित होने के कारण निर्धारित प्रक्रियानुसार ही उचित रूप से नगर विकास न्यास के खाते दर्ज की गई है।
- अतः यह तनकी प्रतिवादी क्रम–2 के पक्ष में तय की जाती है।

7- प्रस्तुत प्रकरण पर सुनी गई बहस अन्तिम के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन करने तथा प्रकरण में कायम की गई तनकीयात के उपरोक्तानुसार विश्लेषण करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि –

- ☞ नकल जमाबन्दी संवत 2060–2063 (प्रदर्श–1) के अनुसार ग्राम लाडपुरा कैथून की आराजी खसरा नम्बर 220 रकबा 1.21 हैक्टर कन्हैयालाल पुत्र घांसी, कंवरलाल, बाबूलाल, पुष्पचन्द पुत्रान रामनारायण, कस्तूरी बाई, गंगा बाई पुत्रियॉ रामनारायण व रामनाथी बाई पत्नी रामनारायण के खाते दर्ज थी।
- ☞ वादी द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 01.06.2005 (प्रदर्श–4ए) एवं 06.06.2005 (प्रदर्श–3ए) से उक्त आराजी पूर्व खातेदारान से क्रय की गई किन्तु विक्रय पत्रों के इम्पाउण्ड हो जाने के कारण इनको दिनांक 24.03.2008 को पंजीकृत कराया गया।
- ☞ इस दौरान विवादित आराजी पर अकृषि कार्य होने के फलस्वरूप नियमानुसार 90–ए की कार्यवाही की जाकर नामान्तरकरण संख्या 164 दिनांक 29.03.2006 से उक्त आराजी को सिवायचक दर्ज कर दिया गया।
- ☞ सिवायचक दर्ज होने के उपरान्त ग्राम लाडपुरा कैथून के पैराफेरी (नगरीय सीमा) में आ जाने के कारण विवादित आराजी को श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के आदेशानुसार लोक प्रयोजनार्थ वर्ष 2016 में नगर विकास न्यास, कोटा के खाते दर्ज किया गया है।
- ☞ वादी की ओर से दिनांक 16.03.2017 को, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 188 के तहत विवादित आराजी पर खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व

स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय में दावा पेश किया गया जबकि उक्त आराजी पूर्व में उपरोक्तानुसार नगर विकास न्यास के खाते दर्ज हो चुकी थी।

ऐसी स्थिति में वादी को इस न्यायालय में वाद पेश करने के पूर्व नामान्तरकरण संख्या 164 दिनांक 29.03.2006 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील पेश करनी चाहिये थी, जो कि वादी द्वारा नहीं की गई। नामान्तरकरण संख्या 164 दिनांक 24.03.2006 के अस्तित्व में रहने तथा विवादित आरजी वर्तमान में नगर विकास न्यास के खाते दर्ज होने से वादी दिनांक 24.03.2008 को पंजीकृत रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करवाने का अधिकारी नहीं होने के कारण वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

8- यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 25.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

25/7/24

(श्रीमती सपना कुमारी)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती सपना कुमारी, R.A.S.

बउनवान :–

फकरूद्दीन आत्मज हाजी जमालुद्दीन, जाति मुसलमान, निवासी कैथून, जिला कोटा

बनाम — (वादी)

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
2. नगर विकास न्यास, कोटा जरिये सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा

— (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 88,89,188 RTA
मुकदमा नम्बर : 22 / 17
निर्णय दिनांक : 24-06-2024

GCMS id : 2017 / 00061

न्यायालय हाजा में विद्वान वादी अभिभाषक श्री रघुवीर सिंह राठौड एवं प्रतिवादी क्रम–2 के अभिभाषक श्री रामकल्याण शर्मा की उपस्थिति में वादपत्र पर बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 25–07–2024 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्रीमती सपना कुमारी, आर.ए.एस. के समक्ष पेश होने पर, नामान्तरकरण संख्या 164 दिनांक 24.03.2006 के अस्तित्व में रहने तथा विवादित आरजी वर्तमान में नगर विकास न्यास के खाते दर्ज होने से वादी दिनांक 24.03.2008 को पंजीकृत रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करवाने का अधिकारी नहीं होने के कारण वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

* खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे द्वारा लिखवाई / टंकित करावाई जाकर आज तारीख 25 जुलाई, 2024 को न्यायालय मुद्रा तथा मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(श्रीमती सपना कुमारी)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	..... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड			जोड	